न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :– 02 / 97 / 2012

रामसुखा बनाम गोपी वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 15.05.2012 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 190 / 0.13 है. वाके ग्राम मित्रावट तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20.06.2012 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी के कार्यकाश्त में रूकावट मजाहमत न करें व निर्माण नहीं करें बाबत् जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनकी ओर से बार बार अवसर के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2067–70 खाता संख्या 22 वाके मित्रावट के अंकित इन्द्राज से प्रथम दृष्टया आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना साबित है इसलिए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 190 / 0.13 है. वाके ग्राम मित्रावट तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 15.05.2012 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टहला)